कार्यालय निदेशक, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी।

सम्पर्क सूत्र–0510 298013,9027842700
बेबसाईट–https://www.mlbpmcj.com

सेवायोजन विज्ञप्ति

दिनाँक 27.08.2025

पत्रांकः–516/स्थापना/ पैरामेडि0/2025–26

महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी में संचालित नर्सिंग कालेज, में निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्त किये जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक–इन–इन्टरव्यू) उपरान्त चयन की कार्यवाही की जानी है। चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया दिनांक 11.09.2025 को 02 बजे से प्रशासनिक भवन/अयोध्या भवन के समिति कक्ष में सम्पन्न करायी जायेगी। उक्त पदों के लिये आयु, मानदेय आदि का विवरण निम्नवत् है–

रिक्त पदों का विवरण

MLB Govt. Paramedical Training College Jhansi. (Nursing Dept.)	Age Limit (01.06.2025से)	Associate Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS
	Maximum 68 Years	-	-	01	-
Total		-	-	01	-
चतुर्थ विज्ञापन					

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी।रिक्त पदों पर समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है।

शैक्षिणकअर्हता/अनुभव–

S.N.	Post Name	Qualification &Exprience
1	Associate Professor	M.Sc. Nursing Total 8 Year Experience With M.Sc. Nursing Including 5 Year Teaching Exprience. Ph.D (Nursing) is desirable

आवेदनशुल्क–अभ्यर्थियों को रू0 500/–आवेदन शुल्क डी0डी0 के रुप में जमा करना होगा, जो निदेशक, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन पत्र कॉलेज की बेबसाई https://www.mlbpmcj.com पर उपलब्ध है।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् हैं–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या 57/2022/I/156557/71–1005(001)/20/2021 दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें एवंप्रतिबंध लागू रहेंगे।
2. वेतन के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस, एवं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।
3. नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नही किए जायेगें।
4. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकगण एसोसिएट प्रोफेसर को रू0 80,000/–का नियत मानदेय प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
5. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
6. नर्सिंग शिक्षकों की ड्युटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्यदिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
7. संविदा कर्मिकों का आकस्मिक अवकाश/ चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।

यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा सेवायें अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

9. नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढाया जा सकता है।
10. संविदा पर नियुक्ति नर्सिंग शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्ध मानी जायेगी।
11. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
12. संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
13. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
14. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित छायाप्रति (Self Attested) एवं फोटो अवश्य लाये।
15. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
16. सरकार/आई0एन0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
17. अर्थिक रुप से कमजोर (EWS) प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा।
18. अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 के पश्चात् का ही मान्य होगा।
19. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उ0प्र0 सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरुप आकाल अनुमन्य होगा।
20. संविदा पर कार्यरत शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होंगे।
21. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरुध माननीय न्यायलय में काई आपराधिक वाद प्रचालित नही है और यदि उनके विरुध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
22. अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से सम्बधित विशिष्टता हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाणपत्र दिनांक 09/09/2025 की साय 5 बजे तक कालेज की ई–मेल directormlbpmjhansi@gmail.com एवं आवेदन की हार्ड कापी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथी व समय के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।

(निदेशक)
महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल
ट्रेनिंग कालेज झाँसी।

पत्रांकः–516/स्थापना/ पैरामेडि0/2025–26 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोटिस बोर्ड, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिक लट्रेनिंग कालेज झाँसी।
4. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज झाँसी को इस आशय से प्रेषित की वो बेवसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करें।
5. डायरी डिस्पैच विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित की अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों को 09/09/2025 की शाय 05 बजे तक स्वीकार करना सुनिश्चित करें।

(निदेशक)
महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल
ट्रेनिंग कालेज झाँसी।